<u>बिहार सरकार</u>

<u>लघु जल संसाधन विभाग</u>

सं0संख्या–ल0ज0स0/गै0यो0 मद/आवंटन-(2026-27)-07/26-213 पटना, दिनांक- 05/08/26

प्रेषक,

राजीव कुमार झा
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

E-mail

कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमंडल, दरभंगा/पूर्णियाँ/कैमूर, मोहनियाँ ।

विषय– वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकीय नलकूप के " अनुरक्षण एवं मरम्मत " के क्रियान्वयन हेतु CFMS-2.0 प्रणाली द्वारा निर्गत आवंटन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय आवंटन **CFMS-2.0** प्रणाली के द्वारा **राजकीय नलकूप के"अनुरक्षण एवं मरम्मत"** हेतु विपत्र कोड-50-2702031030007, विषय शीर्ष-27.02 में **कुल-3.80559 लाख (तीन लाख अस्सी हजार पाँच सौ उनसठ) रूपये मात्र** (संलग्न सूची के अनुरूप) का आवंटन निर्गत किया गया है । जो निम्नवत् हैः-

(राशि लाख रूपये में)

क्र0	कार्यालय का नाम	नलकूपों की संख्या	आवंटन
1	2	3	4
1	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, दरभंगा	1	**0.45500**
2	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पूर्णियाँ	4	**1.91382**
3	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, कैमूर, मोहनियाँ	3	**1.43677**
	योगः-	**8**	**3.80559**

2. आवंटित राशि का नियमानुसार शत्- प्रतिशत व्यय सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित कार्यपालक अभियंता का होगा ।
3. आवंटित राशि का व्यय संबंधित योजनाओं में स्वीकृत राशि के अधीन ही किया जाय। जिन योजनाओं के निर्माण कार्य में हुई अनियमितता की जाँच चल रही हो, उसमें अंतिम निर्णय होने एवं विभाग से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भुगतान किया जाय ।
4. आवंटित राशि बजट में उपबन्धित राशि के सीमाधीन हैं। बिहार वित्त नियमावली भाग-1 के नियम-342 के अनुसार पूर्व आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराते हुये, एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराया जाये।
5. योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित सभी पदाधिकारी बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता के प्रावधानों तथा मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में कार्य कराने के लिए जिम्मेवार होंगे।
6. आवंटित राशि का व्यय बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली, बिहार कोषागार संहिता तथा समय-समय पर दिये गये विभागीय निदेशों के आलोक में सुनिश्चित किया जाय।
7. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
8. आवंटित राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय। उतनी ही राशि की निकासी की जाय जितनी की तत्काल आवश्यकता हो। उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जाय ।

9. व्यय प्रतिवेदन विभाग/ महालेखाकार, बिहार, पटना को प्रत्येक माह की 10 (दस) तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय ।

10. संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता को निदेश दिया जाता है कि अपने परिक्षेत्राधीन क्रियान्वित हो रही योजनाओं का समय-समय पर अनुश्रवण करेगें तथा स्थल निरीक्षण कर विहित प्रपत्र में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह विभाग को उपलब्ध करायेगें । यदि आपके द्वारा कार्यो का निरीक्षण नहीं किया जाता है तो कार्यो पर किये गये भुगतान की जबावदेही आप की भी होगी ।

11. आवंटित राशि के विरूद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित कार्यालय प्रधान के रूप में संबंधित कार्यपालक अभियंता-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीकी होगी ।

12. उक्त आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, **दरभंगा/पूर्णियाँ/कैमूर, मोहनियाँ** होगें तथा नियंत्री पदाधिकारी, संबंधित मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग **मुजफ्फरपुर/भागलपुर/पटना** होगें ।

13. अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना संबंधित योजना एवं उक्त आवंटित राशि के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होगें तथा क्रियान्वित हो रही योजनाओं का समय-समय पर अनुश्रवण करेंगे ।

14. राशि की निकासी जिला कोषागार, **दरभंगा/पूर्णियाँ/कैमूर, मोहनियाँ** से की जायेगी ।

15. उक्त आवंटन राशि के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन एवं विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।

16. उक्त आवंटन आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक-17/04/98 के आलोक में निर्गत किया गया है।

अनु0ः-यथोक्त ।

विश्वासभाजन

03/8/26

(राजीव कुमार झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- *पटना, दिनांक–*

प्रतिलिपिः-माननीय मंत्री के आप्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/अपर सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख/ संबंधित मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0) अनुश्रवण /आई0टी0 मैनेजर, आई0टी0कोषांग को विभागीय बेवसाईट पर आवंटन अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

अनु0ः-यथोक्त ।

03/8/26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- *पटना, दिनांक–*

प्रतिलिपिः-संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/ महालेखाकार, बिहार,पटना/प्रभारी नलकूप कोषांग/ प्रोग्रामर, नलकूप कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनु0ः-यथोक्त ।

03/8/26

सरकार के संयुक्त सचिव